भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1800

उत्तर देने की तारीख 2 मार्च, 2020

सोमवार, 12 फाल्गुन, 1941 (शक)

कौशल विकास के लिए प्रतिमान और मानक

†1800. श्री अनुराग शर्माः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अभी तक मंत्रालय की कौशल विकास पहल के अंतर्गत पंजीकृत संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) ऊपर उल्लिखित उन संस्थानों का ब्यौरा क्या है जो पूरी तरह से कार्यात्मक हैं तथा प्रतिमानों/मानकों के अनुसार अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं; और

(ग) मंत्रालय उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने के किस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ताकि रोजगार सृजन के दायरे में वृद्धि की जा सके तथा यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री राज कुमार सिंह)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय समूचे देश में अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) पाठ्यक्रमों और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपनी मांग संचालित योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 का कार्यान्वयन कर रहा है। एसटीटी प्रशिक्षण सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी)/प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी) के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र तृतीय पक्ष आकलन एजेंसियों द्वारा किए गए निरीक्षण के साथ एक ऑनलाइन पोर्टल; स्मार्ट (कौशल प्रबंधन और प्रत्यायन प्रशिक्षण केंद्र) के माध्यम से टीसी/टीपी का सूचीकरण किया जाता है। 17.01.2020 तक, एसटीटी पाठ्यक्रम योजना के तहत 13,209 टीसी/टीपी को सूचीबद्ध किया गया था।

(ख) इस योजना के अंतर्गत सभी सूचीबद्ध टीसी/टीपी (अर्थात 13,209) को प्रशिक्षण दिया गया है। आज की तारीख में 1,264 टीसी/टीपी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) पीएमकेवीवाई (2016-20) के अंतर्गत उम्मीदवारों में उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की मूल पाठ्यचर्या के अतिरिक्त 155 घंटे का अंग्रेजी, रोजगार और उद्यमशीलता (ईईई) मॉड्यूल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा टीपी मार्गदर्शन करने तथा परामर्श सहायता देने के साथ-साथ बैंक लिंकेज की सुविधा देकर उद्यमशीलता विकास में सहायता प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, पीएमकेके को उद्यमी मित्र पोर्टल (एसआईडीबीआई) पर मुद्रा ऋण के लिए हैंड-होल्डिंग एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है। साथ ही, स्व-रोजगार प्रशिक्षण तथा हैंड-होल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और राष्ट्रीय आरएसईटीआई उत्कृष्टता केंद्र (एनएसीईआर) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

****